फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

चेतन मित्तल बनाम नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 36 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
14.7.2023	प्रार्थी/अपीलान्ट चेतन मित्तल पुत्र झम्मन लाल, स्टेशन रोड़ बजरिया, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत यह नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम, भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज.)	522 24/7/23 मूल अपील वापस की